आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 24.12.2025 समय : 0705

<><><><><><><>

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में निर्वाचन आयोग ने तीनों जिलों में मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए—अनमैप्ड मतदाताओं को वैध दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होना होगा।
- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर कड़ा कानून लाने के लिए संसद में दो नए विधेयक प्रस्तुत होंगे।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उप—राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने अपने संदेश में प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाने की अपील की।
- विद्युत विभाग ने एन ई सी पोर्टल को नए डोमेन पर स्थानांतरित किया। विभाग ने नागरिकों से अपील की कि अब नए पोर्टल का उपयोग करें।

<><><><><><><>

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारूप कल जारी किया गया। द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. कुमार के अनुसार द्वीपसमूह के तीनों जिलों मध्योत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान और कार निकोबार में कुल तीन लाख दस हजार चार सौ चार मतदाताओं में से दो लाख छियालीस हजार तीन सौ नब्बे मतदाता मसौदा मतदाता सूची—2026 में शामिल किए गए हैं। इस दौरान नौ हजार एक सौ इक्यानब्बे मतदाता मृत, इक्यावन हजार नौ सौ छः स्थानांतरित, अनुपस्थित तथा दो हजार नौ सौ सत्रह मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए।

सभी तीनों जिलों के आंकड़ों के अनुसार, मध्योत्तर अंडमान जिले में इकहत्तर हजार दो सौ अड़सठ, दक्षिण अंडमान जिले में एक लाख तिरपन हजार तीन सौ छब्बीस तथा निकोबार जिले में इक्कीस हजार सात सौ छियानब्बे मतदाता मसौदा सूची में शामिल हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, कुल मतदाताओं में से दो लाख बीस हजार नौ सौ तिरासी मतदाता वर्ष 2002 की पिछली एसआईआर सूची से मैप किए जा चुके हैं, जबकि पच्चीस हजार चार सौ सात मतदाता अभी अनमैप्ड हैं। इन अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस अवधि के दौरान संबंधित सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सूचना दी जाएगी। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक वैध दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितापूर्ण एवं समावेशी ढंग से संपन्न की जा रही है, ताकि कोई भी

पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और अपात्र नामों को हटाया जा सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अगले वर्ष बाईस जनवरी तक मतदाता एवं राजनीतिक दल दावे एवं आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। नोटिस चरण के अंतर्गत सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे–आपत्तियों का निस्तारण चौदह फरवरी तक एक साथ किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इक्कीस फरवरी को किया जाएगा। द्वीपसमूह के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. अपूर्व शर्मा ने मतदाताओं से अपनी जानकारी का सत्यापन पच्चीस जनवरी दो हजार छब्बीस तक कराने को कहा है।

<><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण–एस.आई.आर के अंतर्गत तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदाता सूचियों का प्रारूप जारी किया। आयोग ने कल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार का मसौदा जारी किया है। एस.आई.आर. के दूसरे चरण की शुरुआत चार नवंबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान–निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मतदाता सूचियों के व्यापक संशोधन का समापन अगले वर्ष चौदह फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण–एसआईआर के अंतर्गत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा।

<><><><><><>

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली बीजों और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून लाने जा रही है। राजस्थान के नागौर जिले में किसान सम्मेलन में श्री चौहान ने बताया कि संसद के आगामी सत्र में दो नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनके लागू होने के बाद नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कमियों को दूर करने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां–जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि बीमा कंपनियां अगर देर करेंगी क्लेम सेटल होने के इक्कीस दिन के बाद एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो बारह प्रतिशत ब्याज किसानों को देना पड़ेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को किसानों तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर द्वीपों के उप–राज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी ने द्वीपवासियों एवं समस्त उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने इस वर्ष की थीम "डिजिटल न्याय के माध्यम से प्रभावी एवं त्वरित निपटान" को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ई–फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन दस्तावेज़ प्रस्तुतिकरण तथा रियल–टाइम केस ट्रैकिंग जैसे डिजिटल न्याय तंत्रों के समावेशन से उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली सशक्त हुई है और आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच और आसान बनी है।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग ने समस्त बिजली उपभोक्ताओं एवं आम जनता को सूचित किया है कि नया विद्युत कनेक्शन पोर्टल अब नए डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उपभोक्ता नए विद्युत कनेक्शन एवं संबंधित सेवाओं के लिए nec.andamannicobar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>

द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन सत्ताईस से इक्कतीस दिसंबर तक किया जाएगा। श्री विजय पुरम स्थित प्रदर्शनी मैदान मुख्य आयोजन स्थल रहेगा। इस सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण, मध्योत्तर अंडमान तथा निकोबार द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहली बार देश के विभिन्न राज्यों एवं द्वीपसमूह के सांस्कृतिक दल स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव में शास्त्रीय, लोक एवं जनजातीय नृत्य–संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी।

<><><><><><><>

प्रशासनिक कारणों से श्री विजय पुरम से शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के लिए संचालित फोरशोर सेक्टर जलयान सेवाओं के प्रातःकालीन समय में संशोधन किया गया है। संशोधित समय–सारणी पहली जनवरी दो हजार छब्बीस से प्रभावी होगी।

<><><><><><><>